फैसल 5/5/26

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

अणदाराम गेहलोत बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्थान विविध प्रार्थना संख्या : -99/2026

अन्तर्गत धारा:- 131 व 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-5-26	प्रार्थी अणदाराम गेहलोत निवासी सालावास तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/11 की तरमीम शुद्धि करने का निवेदन किया है। तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक भू.अ./2026/664 दिनांक 04.03.2026 के द्वारा अणदाराम गेहलोत के प्रार्थना पत्र के संबंध में तरमीम/नक्शा शुद्धिकरण बाबत जांच रिपोर्ट पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/7, 103/10, 103/11, 103/12 की तरमीम बंटवाड़ा प्रपत्र एवं मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार शुद्ध किया जाना अपेक्षित बताया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की कृषि भूमियां ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 103/7, 103/10, 103/11, 103/12 की तरमीम वर्तमान राजस्व रैकर्ड में मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार नहीं है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कब्जा-काश्त अनुसार सही करने का निवेदन किया है। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट में भी बंटवाड़ा प्रपत्र एवं मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अवलोकन व मनन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 24.02.2026 में मौका स्थिति का अंकन किया गया है जिसके अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में डीआईएलआरएमपी के तहत खसरा संख्या 103/7, 103/10, 103/11, 103/12 की ऑनलाईन तरमीम वास्तविक कब्जे अनुसार नही किया जाने से विसंगति उत्पन्न होना जाहिर है जिसे बंटवाड़ा प्रपत्र एवं मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा एक सहमति पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पक्षकारान द्वारा खसरा संख्या 103/7, 103/10, 103/11, 103/12 की तरमीम दुरूस्ती बंटवाड़ा प्रपत्र एवं मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने की सहमति प्रदान की है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास के खसरा नंबर 103, 103/36, 103/5, 103/10, 103/11, 103/7, 103/13, 1623/103, 1624/103 की ऑनलाईन दर्ज तरमीम की दुरूस्ती प्रस्तावित की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है निम्नांकित शर्तों के अधीन संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 24.02.2026 में वर्णित एवं बंटवाड़ा प्रपत्र एवं मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 103/7, 103/10, 103/11, 103/12 की तरमीम शुद्धि किये जाने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार लूणी उक्त की पालना करते हुये नियमानुसार शुद्धि की कार्यवाही करे। 1. राजकीय/जेडीए के नाम दर्ज खसरों की तरमीम से राजकीय हित विपरित रूप से प्रभावित नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे। 2. जिन खसरों की तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है, तरमीम शुद्धि से पूर्व सहमति सुनिश्चित की जावे। यह ध्यान रखा जावे कि किसी भी खातेदार का हित विपरित रूप से प्रभावित नहीं हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	